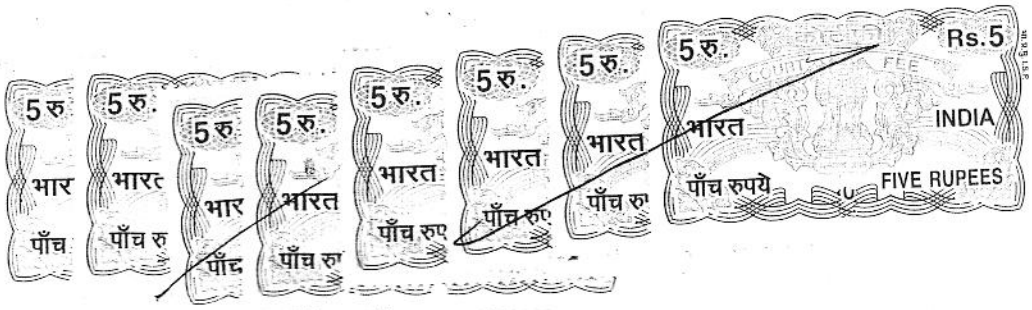

:: माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप जबलपुर::

अपील 2506-I-15

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला जबलपुर

श्री त्रिलोक उर्फ त्रिलोका सिंह ठाकुर (बड़करे) आत्मज श्री ननकु सिंह ठाकुर (जाति गौंड) निवासी म. नं. 40/1, ग्राम भदारी तह. निवास जिला मण्डला (म.प्र.)। (वोटर कार्ड नं. KKB 1276831)

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1- **श्री शैलेन्द्र कपूर** पिता श्री धरमपाल कपूर,
निवासी मकान नं. 14, राजुल क्लासिक, गोरखपुर गुरूद्वारे के पीछे,
गोरखपुर, जबलपुर (म.प्र.)

2- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर

..... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 242/अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 19/11/2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नाकिंत निवेदन है कि :-

(1) यह कि आधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम पड़हारपुर, नं.ब. 197, प.ह.नं. 11 पुराना, नया 28, रा.नि.मं. इमलई, तह. कुण्डम, जिला जबलपुर की कृषि भूमि खसरा नं. 123 रकबा 0.110 हैक्टर भूमि जो कि अपीलार्थी के स्वत्वस्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिस पर अपीलार्थी का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है । अपीलार्थी खेती का कार्य करता है ऐसी स्थिति में अपनी अन्य कृषि भूमि को उन्नत एवं उपयोगी बनाने के उददेश्य से जो जमीन अन्य गांवों में टुकडों में पडी है उसके द्वारा भूमि के विक्रय का अनुबंध प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से कर लिया है । ऐसी स्थिति में उसे विक्रय की अनुमति दी जावे ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – जबलपुर

प्रकरण कमांक निग0 2506–एक / 15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-12-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 421 / अ–21 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19–11–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 28–7–15 को प्रस्तुत की गई है जो अवधि बाह्य है । विलंब क्षमा करने के संबंध में कोई आवेदन अपील आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में यह निगरानी इसी आधार पर निरस्ती योग्य है । परिणामतः यह निगरानी समयावधि बाह्य होने से निरस्त की जाती है । 2 / उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	